RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

जुलाई-2024 | वर्ष - 16 | अंक : 06 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख -
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

छत्रपति साहू महाराज

हमारे देश में अनेक व्यक्तित्व ऐसे हुए है जो सुविधाओं में पले, पर जैसे – जैसे बचपन से उन्होंने जवानी की ओर कदम रखा, वैसे – वैसे उन्होंने अभाव में रह रहे लोगों की पीड़ा तथा दर्द को समझा, महसूस किया और उनके लिए कार्य कर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया। ऐसे ही महापुरूषों में से थे छत्रपति साहू महाराज जी, जिन्होंने राजा होते हुए भी हर समय दलित तथा शोषित वर्ग से अपना रिश्ता बनाए रखा।

साहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे और माता का नाम राधाबाई था। उनके बचपन का नाम यशवन्तराव था।

साहू महाराज की शिक्षा राजकोट के 'राजकुमार महाविद्यालय' में हुई। राजकोट की शिक्षा समाप्त कर आगे की शिक्षा समाप्त कर आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1890 से 1894 तक वे धारावाड़ में रहें। उन्हें अंग्रेजी और इतिहास आदि अन्य विषयों से राजकाज चलाने की भी शिक्षा दी गई। वे पढ़ाई – लिखाई में कुशल थे। साथ ही शासन सम्बन्धी मामलों को जल्दी ही समझ लिया था।

छत्रपति साहू महाराज 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा हुए। उन दिनों समाज में जातिवाद का बोलबाला था। समाज में जाति, धर्म तथा वर्गों के आधार पर विषमता बढ़ रही थी। समाज का एक वर्ग पिस रहा था और दूसरा उस पर हावी था। साहू महाराज ने इस सबका विश्लेषण करने के बाद दलितोद्धार का कदम उठाया। उन्होंने शूद्रातिशूद्र वर्ग को ऊपर उठाने के लिए एक योजना बनाई और उसे कार्यरूप में लाए। इसके लिए उन्होंने दलित तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए स्कूल – कॉलेजों की स्थापना के साथ – साथ उनके लिए छात्रालयों की स्थापना की। समाज में जो वर्ग हजारों वर्षों से सताया जा रहा था, जब उसमें पवित्र होने लगा तो उच्च वर्ग हजारों वर्षों से सताया जा रहा था, जब उसमें परिवर्तन होने लगा तो उच्च वर्ग को बुरा लगा। वे महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। परिणाम यह हुआ कि साहू महाराज की तथाकथित सवर्ण जाति के लोग एक स्वर में निन्दा करने लगे। स्वयं राजपुरोहित ने कहा– 'आप शूद्र है और शूद्र को वेद मन्त्र सुनने का अधिकार नहीं है।' उस समय कोल्हापुर के राजपुरोहित का समर्थन शंकराचार्य ने भी किया था। साहू महाराज ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन सबका डटकर मुकाबला किया।

उन्होंने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि दलित तथा पिछड़ी जातियों की अवनति के पीछे समाज में जातिभेद ओर विषमता एक बड़ा कारण रहा है– एक वर्ग का मान – सममान हो तथा दूसरे का अपमान। उन्होंने अमानवीय आधार पर चल रही परम्परा पर वार किया और जन – जन में प्रचार के लिए आन्दोलन चलाया।

1911 में साहू महाराज ने अपने संरक्षण में 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। उन्होंने कोल्हापुर में 'सत्य शोधक पाठशाला' चलाई। गांव – गांव में सत्य शोधक समाज के सम्मेलन आयोजित किए। यही नहीं दलित समाज के विद्यार्थियों को धर्मज्ञान प्राप्त करने की स्वस्थ परम्परा का विकास किया। ध्यान रहे कि 1873 में महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की थी। जात – पांत, ऊंच – नीच की मानवद्रोही और समाजद्रोही विचार प्रणाली के विरूद्ध मानव और मानव के बीच समता का समर्थन करने वाला यह आन्दोलन था। साहू महाराज ने इसी आन्दोलन को अपनी रियासत में आगे बढ़ाया था।

1919 में डॉ0 अम्बेडकर साहू महाराज के सम्पर्क में आए। उनकी सहायता से ही 31 जनवरी 1920 में बाबा साहेब ने मूकनायक (गूंगों का नेता) मराठी पाक्षिक समाचार – पत्र आरम्भ किया।

21 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत के माणगांव में डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में दलितों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में साहू महाराज ने भाषण देते हुए कहा था– 'भाइयों, आज आपको डॉ0 अम्बेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉ0 अम्बेडकर आपकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ देंगे। समय आएगा और डॉ0 अम्बेडकर अखिल भारत के प्रथम श्रेणी के नेता के रूप में चमक उठेंगे।' उस समय कौन जानता था कि साहू महाराज की भविष्यवाणी एक दिन सही साबित होगी।

15 अप्रैल 1920 को साहू महाराज के सहयोग से ही नासिक में 'विद्या वसतीगृह' की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था– 'बहुत से लोगों का कहना है कि जाति भेद बुरा नहीं, पर जातिद्वेष नहीं होना चाहिए।' ऐसा विचार रखने वाले लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जातिभेद का कार्य ही जातिद्वेष पैदा करता है। इसलिए जातिभेद सबसे पहले समाप्त करना चाहिए।

साहू महाराज सम्पूर्ण भारतीय समाज में परिवर्तन देखना चाहते थे। एक ओर उन्होंने जहां आदिवासियों को गांवों मे बसाने का कार्य किया वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने का कानून भी 1912 में बनाया था। उन्होंने पुनर्विवाह के लिए भी कानून बनाया। इस तरह से उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी कानून बनाकर समाज में परिवर्तन होने की परिस्थितियों की संरचना में सहयोग दिया। उनका किसी जाति विशेष के लोगों से कोई द्वेष न था लेकिन समाज में स्वस्थ्य मूल्यों का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए ही शायद तत्कालीन समय में उच्च वर्ग के कुछ लोग उनके विरोधी हो गए थे और उन्हें अपना शत्रु मानने लगे थे। पर साहू महाराज किसी के शत्रु न थे। न ही किसी को शत्रु बनाने में रूचि थी। वे तो मानव – मानव के बीच प्यार और भाईचारे के अंकुर पैदा करना चाहते थे। जिसमें किसी सीमा तक वे सफल भी हुए।

निश्चित ही साहू महाराज ने भारतीय समाज से विषमता समाप्त करने तथा समता और बराबरी के मानवीय सिद्धान्त को लागू कराने के लिए जीवनभर जो संघर्ष किए, वे हमेशा – हमेशा के लिए याद किए जायेंगे तथा समाज की भावी पीढ़ी उनसे हर एक युग में प्रेरणा भी लेती रहेगी। उन्होंने जातिभेद समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया था। यही नहीं, समय – समय पर वे बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर को हर तरह से सहयोग भी किया करते थे। उनके मन में बहुजन समाज के लिए गहरा लगाव था। वैसे वे हर समाज की प्रगति देखना चाहते थे। पर जो भी कारणवश पिछड़ गए थे उन्हें आगे लाना भी वे अपना फर्ज समझते थे।

10 मई 1922 को उनका निधन हो गया। स्वयं बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर को उनके निधन पर बहुत दुःख हुआ था। क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह के महापुरूष बिरले ही जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। साहू महाराज उनमें से ही एक थे, जो जीवनपर्यंत समाज में समता और बराबरी देखने के लिए संघर्ष करते रहे।

साभार : समता की ओर (सूचना विभाग) पृष्ठ 13–16

अराजकता कैसे जायज है?

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे दो बातें अवश्य स्पष्ट हो गई होंगी, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली, स्पृश्यों और अस्पृश्यों के बीच अकाट्य भेद और दूसरी, इन दोनों के बीच एक–दूसरे के प्रति गंभीर रूप से प्रतिकूल होने की भावना।

हर गांव में दो हिस्से होते हैं, स्पृश्यों के घर और अस्पृश्यों के घर। भौगोलिक दृष्टि से ये बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों के बीच में काफी दूरी होती है। किसी भी दशा में दोनों प्रकार के घर अगल–बगल नहीं होते और न ये पास ही होते हैं। अस्पृश्यों के घर उनकी जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे महारवाड़ा मांगवाड़ा, चमरोटी, खाटिकाना आदि। राजस्व खातों और डाकखानों में अस्पृश्यों के घर कानूनन गांव का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन हकीकत में गांव से अलग होते हैं। गांव में रहने वाला हिंदू जब गांव का जिक्र करता है तो उसका आशय उसमें सवर्ण हिंदू निवासियों को शामिल करना होता है, जो स्थानीय रूप से वहां रहते हैं। इसी तरह जब कोई अस्पृश्य गांव की बात करता है तो उसका आशय उस गांव में से अस्पृश्यों और उनके घरों से रहित गांव से होता है। यह जरूरी नहीं कि इन दोनों को मिलाकर ही गांव बने। इस तरह हर गांव में स्पृश्य और अस्पृश्य नाम से दो अलग–अलग समूह होते हैं। दोनों के बीच कोई समानता नहीं होती। यह पहली बात है, जो ध्यान में रखी जानी चाहिए।

गांव में इस प्रकार के विभाजन के बारे में दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि ये समूह स्वयं में अलग–अलग एक इकाई होते हैं और कोई भी एक–दूसरे को अपने में शामिल नहीं करता। यह ठीक ही कहा गया है कि अमरीका या यूरोप में रहने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार के समूहों का होता है और वह इनमें से अधिकांश का सदस्य बनता है। वह निश्चय ही किसी एक परिवार में जन्म लेता है, लेकिन वह उस परिवार में सारी जिंदगी रहने के बजाय, जब तक चाहे तभी तक उस परिवार में रहता है। वह कोई भी व्यवसाय या कोई भी निवास स्थान चुन सकता है, किसी के भी साथ विवाह कर सकता है, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है और वह किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य के बजाय केवल अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। वह पूर्ण अर्थ में एक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके सभी संबंध और सभी कार्य उसी के द्वारा अपने लिए निर्धारित होते हैं। लेकिन स्पृश्य या अस्पृश्य व्यक्ति किसी भी अर्थ में व्यक्ति नहीं होता क्योंकि उसके सभी या लगभग सभी संबंध तभी निश्चित हो जाते हैं, जब उसका जन्म किसी वर्ग विशेष में हो जाता है। उसका व्यवसाय, उसका निवास, उसके देवी–देवता, उसकी राजनीति आदि सभी कुछ उस वर्ग द्वारा उसके लिए निश्चित हो जाते हैं, जिसमें उसका जन्म हो गया होता है। ये स्पृश्य और अस्पृश्य व्यक्ति एक–दूसरे से जब मिलते हैं तो इस तरह नहीं मिलते, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से मिल रहा होता है, बल्कि वे ऐसे मिलते हैं, जैसे एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय से या दो विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति आपस में मिल रहे हों।

इस तथ्य का गांवों में स्पृश्यों और अस्पृश्यो के आपसी संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह संबंध उन्हीं संबंधों के सदृश होता है, जैसे आदिम–काल में दो विभिन्न कबीलों के बीच होते थे। आदिम समाज में एक कबीले के व्यक्ति यह दावा करते थे कि वही हर चीज के अधिकारी हैं और बाहरी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। एक मेहमान की तरह बाहरी व्यक्ति के ऊपर कृपा तो की जा सकती है, लेकिन वह अपने कबीले के अलावा किसी दूसरे कबीले में न्याय की मांग नहीं कर सकता। एक कबीले के साथ दूसरे कबीले के संबंध युद्ध या मैत्री के संबंध समझे जाते थे, न कि किसी कानून के संबंध। और जो व्यक्ति किसी कबीले का नहीं होता था, वह बाहरी समझा जाता था– असलियत में और नाम से भी इसलिए बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध कानून की अनदेखी कर व्यवहार करना कानून में जायज था। चूंकि अस्पृश्य व्यक्ति स्पृश्यों के वर्ग का सदस्य नहीं है, इसलिए वह बाहरी व्यक्ति है। उससे उनका कोई संबंध नहीं है। वह कानून के लाभ से बहिष्कृत व्यक्ति है। वह न्याय के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है। वह किसी प्रकार के अधिकार की मांग नहीं कर सकता, जिसे मानना प्रत्येक स्पृश्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।

तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है, वह यह है कि स्पृश्यों और अस्पृश्यों के बीच आपसी संबंध निश्चित होते हैं। यह हैसियत का सवाल बन गया है। अस्पृश्यों को निश्चित रूप से स्पृश्यों के मुकाबले हीन स्थिति में रखा गया है। यह हीनता सामाजिक आचार–विचार संहिता में वर्णित है, जो अस्पृश्यों को अनिवार्यतः स्वीकार करनी चाहिए। और आचार–विचार संहिता कैसी है, वह बताया जा चुका है। अस्पृश्य इस संहिता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यह मानने के लिए तैयार नहीं कि जिसके पास लाठी भैंस भी उसी की है। अस्पृश्य चाहते हैं कि अस्पृश्यों के साथ उनके संबंध किसी सहमति पर आधारित हों। लेकिन स्पृश्य चाहते हैं कि अस्पृश्य समाज में अपनी हैसियत के नियमों के अनुसार जीवन–यापन करें और उससे ऊपर न उठें। इस तरह गांव के दो वर्ग, अर्थात स्पृश्य और अस्पृश्य उस व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने के लिए संघर्षरत् हैं, जिसे स्पृश्य समझते हैं कि यह हमेशा के लिए निर्णीत हो चुकी है। यह संघर्ष इस प्रश्न को लेकर हैं कि इस संबंध का आधार क्या हो? क्या उसका आधार कोई समझौता हो या उसका आधार हैसियत को माना जाए।

इससे कुछ बड़े रोचक प्रश्न पैदा होते हैं। अस्पृश्यों को निम्नतम जातियों का और निम्न दर्जा क्यों दिया गया? हिंदुओं में उनके प्रति इतना विरोध और अनादर का भाव कैसे पैदा हो गया? हिंदू लोग अस्पृश्यों का दमन करने में मनमाना आचरण क्यों करते हैं, मानों उनका यह आचरण कानून सम्मत हो।

इन सवालों का सटीक उत्तर पाने के लिए हमें हिंदूओं के विधि–विधान पर विचार करना होगा। हिंदू विधान के नियमों की पर्याप्त जानकारी के बिना इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर मिलना असंभव है। हमें अपने प्रयोजन के लिए समस्त हिंदू काननू और उसकी प्रत्येक शाखा को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं। हिंदू कानून की उस शाखा का ज्ञान होना ही यथेष्ट है, जिसे वैयक्तिक विधि या जिसे अगर गैर–तकनीकी भाषा में कहा जाए तो हम हिंदू कानून का वह भाग कहते हैं, जो हैसियत, अधिकार, कर्तव्य या सामर्थ्य में अंतर से संबंधित है।

इसलिए यहां हिंदू कानून के नियमों की तालिका प्रस्तुत करने का विचार है, जो वैयक्तिक कानून से संबंधित है। ये नियम मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, कात्यायन आदि की स्मृतियों आदि से संकलित किए गए हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख विधि–निर्माता हैं, जिन्हें हिंदू विधि के निर्माण के क्षेत्र में प्रमाण स्वरूप मानते हैं। इन नियमों का यथावत् उल्लेख चाहे कितना ही रोचक क्यों न हो, लेकिन इससे उस व्यक्ति को कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी, जो इनको हिंदुओं के वैयक्तिक कानून की बुनियादी जानकारी के लिए उलटता–पुलटता है। इस प्रयोजन के लिए इनको उद्धत करना यथेष्ट नहीं है। स्पष्टतः कुछ क्रम निश्चित करना आवश्यक है, इसलिए उन्हें कुछ शीर्षकों में बांटा गया है। यह सारी सामग्री संक्षिप्त कर दी गई है, जो खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड विशिष्ट विषय के अनुसार है।

विभिन्न वर्ग : उनकी उत्पत्ति और कर्म

1. यह ब्रह्मांड तम पुंज के रूप में, अज्ञात, लक्षणहीन प्रमाणादि तर्कों से परे, अज्ञेय, पूर्ण निमज्जित था, जैसे प्रगाढ निद्रा में हो– (मनु, 1.5.)

2. तब स्वयंभू जो अगम थे, किंतु आकाशादि महाभूतों को प्रकट करते हुए गोचर रूप में दुर्दम्य सृजनशक्ति सहित हो, अंधकार को दूर करते हुए प्रकट हुए– (वही, 1. 6.)

3. तीनों लोकों की संवृद्धि के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की – (वही, 1.31.)

4. महातेजस्वी ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग–अलग (कर्म) व्यवसाय निर्धारित किए – (वही, 1.87.)

5. ब्राह्मणों के लिए उन्होंने (वेदों को) पढ़ना और पढ़ाना, अपने तथा दूसरों के हित के लिए यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना, कर्म निर्धारित किए– (वही, 1.88.)

6. उन्होंने प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति न रखना, यह क्षत्रियों के कर्तव्य बताए हैं– (मनु. 1.89)

7. उन्होंने पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, (वेद) पढ़ना, व्यापार करना, ऋण देना और खेती करना ये वैश्यों के कर्तव्य बताए – (वही, 1.90.)

8. ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एक ही कर्तव्य निर्धारित किया अर्थात इन अन्य तीन वर्णों की अत्यंत विनम्रतापूर्वक सेवा करना – (वही, 1.91.)

9. विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, वेतन देकर नियुक्त सेवक और चौथे अधिकारी व्यक्ति, इन सभी को श्रमिक समझना चाहिए। जो किसी के घर में जन्म प्राप्त करते हैं, वे दास होते हैं – (नारद, 5.3.)

10. ऋषियों ने कानून के आधार पर पांच वर्ग के सेवक बताए हैं। इनमें चार वर्ग के सेवक वे हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। पाचवें वर्ग में दास आते हैं, जिनके पंद्रह प्रकार हैं – (वही, 5.2.)

11. जो (अपने स्वामी के) घर में उत्पन्न हुआ है, जो खरीदा गया है, जो उपहार में मिला है, जो विरासत में मिला है, जिसका अकाल के समय भरण–पोषण किया गया है, जो उसके वैध स्वामी द्वारा गिरवी के रूप में रखा गया है – (वही, 5.26.)

12. जिसको भारी ऋण चुकाकर मुक्त कराया गया है, जो युद्धबंदी है, जो दांव में जीता गया है, जो तपस्वी जीवन त्याग कर यह घोषित करता है, मैं आपका हूं, जो निश्चित अवधि के लिए दास है – (वही, 5.27)

13. जो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से दास बनता है, जो दास स्त्री के साथ संबंध होने के कारण दास हो गया और जो स्वयं को बेच देता है। कानून के आधार पर ये पंद्रह प्रकार के दास है – (वही, 5.28)

14. इनमें से प्रथम चार श्रेणी के दास स्वामी की सहमति के बिना मुक्त नहीं किए जा सकते। उनका दासत्व वंशानुगत है – (वही, 5.29)

15. ऋषियों का कथन है कि ये सभी एक जैसे पराधीन होते हैं, परंतु इनका स्तर और इनकी आय इनकी विशिष्ट जाति और व्यवसाय पर निर्भर करती है – (वही, 5.4.)

विधि के समक्ष समानता

1. जब दो व्यक्ति परस्पर अपशब्द कहें तब यदि वे एक ही जाति के हों, तो उन्हें समान दंड दिया जाए। यदि एक ही जाति दूसरे से हीन है तो छोटी जाति वाले को दुगुना दंड दिया जाए और ऊंची जाति वाले को सामान्य दंड का आधा – (बृहस्पति, 20.5.)

2. जाति और गुण में समान व्यक्ति एक–दूसरे को अपशब्द कहें तो कानून के अनुसार उन्हें साढ़े तेरह पण का अर्थदंड दिया जाए – (वही, 20.6.)

3. यदि ब्राह्मण को क्षत्रिय अपशब्द कहता है तो उस पर पचास पण का जुर्माना किया जाए, वैश्य को गाली देने पर पच्चीस पण और शूद्र को गाली देने पर साढ़े बारह पण अर्थदंड दिया जाए – (वही, 20.7.)

4. यह दंड एक गुणशील शूद्र को (गाली) दिए जाने के लिए है, जिसका कोई दोष न हो। ब्राह्मण द्वारा गुणहीन (शूद्र) को अपशब्द कहने पर कोई अपराध नहीं बनता– (वही, 20.8.)

5. यदि कोई वैश्य क्षत्रिय को अपशब्द कहता है तो उस पर एक सौ पण जुर्माना किया जाए। यदि क्षत्रिय वैश्य को अपशब्द कहे तो उसे आधा धन अर्थदंड के रूप में देना होगा – (वही, 20.9.)

6. क्षत्रिय के संबंध में, यदि वह किसी शूद्र को अपशब्द कहता है तो उस (क्षत्रिय) पर बीस पण अर्थदंड किया जाए। वैश्य के संबंध में, यदि वह किसी शूद्र को गाली देता है तब कानून–विदों के मत में उस पर दुगुना अर्थदंड दिया जाए – (वही, 20.10)

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

7. शूद्र यदि वैश्य को अपशब्द कहता है तो उसे ऐसा करने पर प्रथम अर्थदंड देने के लिए बाध्य किया जाए। क्षत्रिय को गाली देने पर मध्यम और ब्राह्मण को (अपशब्द कहने पर) सर्वोच्च दंड दिया जाए – (वही, 20.11.)

8. ब्राह्मण से अपशब्द बोलने वाले क्षत्रिय को सौ पण, वैश्य को डेढ़ सौ या दो सौ पण और शूद्र को शारीरिक दंड दिया जाए – (मनु, 8.267)

9. क्षत्रिय से अपशब्द बोलने वाले ब्राह्मण को पचास पण वैश्य को पच्चीस पण और शूद्र को बारह पण का दंड दिया जाए – (वही, 8,268)

10. जो शूद्र द्विज को दारूण वचन कह उसकी अवमानना करता है, उसकी जीभ कटवा दी जाए क्योंकि वह नीच कुलोद्भव है – (मनु 8.270)

11. यदि वह द्विज का नाम और (उसकी) जाति का उल्लेख अपमान के तौर पर करता है तब उसके मुंह में दस अंगुल लंबी दहकती हुई कील डाल दी जाए– (वही, 8.271.)

12. यदि वह ब्राह्मण को उद्दंडतापूर्वक उसके कर्तव्य की शिक्षा देता है तब राजा उसके मुख और कानों में खौलता हुआ तेल डलवाए – (वही, 8.272)

13. ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वारा एक–दूसरे को अपवचन कहने पर विवेकसंपन्न राजा द्वारा अवश्य अर्थदंड दिया जाए, जो ब्राह्मण के लिए सबसे कम और क्षत्रिय के लिए औसतन हो – (वही, 8. 279)

14. यदि नीच जाति का कोई व्यक्ति अपने किसी भी अंग से (तीन उच्च जातियों के) व्यक्ति के क्षति पहुंचाए तब उसका वह अंग कटवा दिया जाए, यही मनु की शिक्षा है– (वही, 8. 279)

15. नीच जाति का जो व्यक्ति अपना हाथ या लाठी उठाए उसका हाथ कटवा दिया जाए, जो व्यक्ति गुस्से में अपनी लात से मारे उसकी वह लात कटवा दी जाए– (वही, 8.280)

16. नीच जाति का व्यक्ति यदि ऊंची जाति के व्यक्ति के आसन पर बैठने का प्रयत्न करे तब उसके नितंब को दगवा दिया जाए और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए या राजा द्वारा उसके नितंब में गहरा घाव करवा दिया जाए – (वही, 8.281)

17. अगर वह उद्दंड हो (अपने से श्रेष्ठ पर) थूक दे तब राजा उसके दोनों ओष्ठों को कटवा देगा, अगर वह (उस पर) पेशाब कर दे तब राजा उसके शिशन को कटवा देगा, अगर वह (उसकी ओर) आपान वायु छोड़ दे तब उसकी गुदा को कटवा देगा – (वही, 8.282)

18. यदि वह अपने से श्रेष्ठ को केश पकड़कर खींचे तब राजा निस्संकोच उसके दोनों हाथ कटवा देगा, इसी तरह अगर वह उसकी टांगें पकड़कर खींचे तब राजा उसकी दाढ़ी, गर्दन या अंडकोष कटवा देगा – (वही, 8.283)

प्रत्येक वर्ण वर्ग की हैसियत, सम्मान और स्थान

1. पुरूष के विषय में कहा जाता है कि वह नाभि के नीचे की अपेक्षा उसके ऊपर अधिक शुद्ध होता है, इसलिए स्वयंभू ने उसका मुख उसके शरीर में सबसे अधिक शुद्ध किया है – (मनु. 1.92.)

2. चूंकि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, चूंकि वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ और चूंकि उसे वेद प्राप्त हैं, इसलिए वह अधिकार से अपनी इस समस्त सृष्टि का स्वामी है – (वही, 1.93)

3. चूंकि स्वयंभू ने तपस्या पूर्ण करने के बाद उसे अपने मुख से उत्पन्न किया जिससे पूजार्चना देवताओं और पितृगणों को भेजी जा सके और यह ब्राह्मंड संरक्षित रहे– (वही, 1.94.)

4. कौन ऐसा सृजित जीव है जो उससे श्रेष्ठ है जिसके मुख के माध्यम से देवता हव्य और पितृगण कव्य को ग्रहण करते हैं – (वही, 1.95.)

5. समस्त सृष्टि में वे सर्वश्रेष्ठ हैं जो प्राणधारी हैं, प्राणियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं जिनकी जीविका का साधन बुद्धि है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्यों में (वे सर्वश्रेष्ठ) जो ब्राह्मण है – (वही, 1. 96)

6. ब्राह्मण अस्तित्व में आने के बाद इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ के रूप में जन्म लेता है, वह समस्त सृजित प्राणियों का स्वामी होता है – (वही, 1.99)

7. पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मणो का है। अपनी उत्पत्ति के उत्तम होने के कारण ब्राह्मण निश्चय ही सबका अधिकारी है – (वही, 1. 100.)

8. जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि तथा सामान्य अग्नि–दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में महान हैं– (वही, 9. 317.)

9. यद्यपि ब्राह्मण सभी प्रकार के शुद्ध कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तथापि वे हर प्रकार से पूजनीय हैं क्योंकि वे महान देवता हैं – (वही, 9.319.)

10. और (पिता) अपने बालक के जन्म के दसवें या बारहवें दिन या शुभ तिथि पर शुभ मुहुर्त में शुभ ग्रहों का योग होने पर बालक का नामकरण संस्कार कराए – (वही, 2. 30.)

11. ब्राह्मण के नाम का पहला भाग ऐसा हो जो (कुछ) मंगलकारी होने का सूचक हो, क्षत्रिय का शक्ति से संबंधित और वैश्य का संपत्ति से संबंधित हो, लेकिन शूद्र का (कुछ ऐसा हो) जो घृणा योग्य हो – (मनु. 2. 31.)

12. ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा (शब्द) होगा जिसमें सुख का भाव निहित हो, क्षत्रिय के नाम का दूसरा भाग ऐसा (शब्द) होगा जिसमें रक्षा करने का भाव निहित हो और वैश्य का ऐसा (शब्द) होगा जिसमें समृद्धि का भाव निहित हो तथा शूद्र का ऐसा होगा जिससे सेवा करने का भाव व्यक्त हो – (वही, 2.32.)

13. वह (ब्राह्मण) ऐसे देश में निवास न करे जहां के शासक शूद्र हों, न ही (ऐसे देश में निवास करे) जहां कदाचारी व्यक्तियों का बाहुल्य हो, न ही (ऐसे देश में निवास करे) जहां अपधर्म व्याप्त हो, न ही (ऐसे देश में निवास करे) जहां निम्नतम जातियां भरी पड़ी हों – (वही 4. 61.)

14. जब राजा स्वयं (किसी न्यायिक विवाद के) कारणों के संबंध में निर्णय न कर सके तब उसे चाहिए कि वह इस कार्य के लिए किसी ब्राह्मण को नियुक्त करे तो विभिन्न शास्त्रों का विद्वान हो – (कात्यायन, 63)

15. जब (उक्त गुणों से युक्त) कोई ब्राह्मण नहीं मिल सकता हो तब राजा को चाहिए कि वह किसी क्षत्रिय या वैश्य को नियुक्त करे जो धर्म में निष्णात हो और राजा को किसी शूद्र को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने में सतर्क रहना चाहिए – (वही, 67.)

16. इनके अतिरिक्त अन्य के द्वारा (न्यायाधीश के रूप में) जो कुछ किया गया है, वह निश्चित रूप से गलत किया गया समझा जाना चाहिए, चाहे वे (राजा के ही) अधिकारी क्यों न हों और चाह संयोग से इस प्रकार किया गया निर्णय धर्म–ग्रंथों के अनुसार ही क्यों न हो – (वही, 68)

17. ब्राह्मण जो अपनी जाति के नाम के कारण ही भरण–पोषण करता है या जो अपने को केवल ब्राह्मण कहता है (चाहे उसका वंश अनिश्चित ही क्यों न हो) वह राजा के अनुरोध पर उसके लिए धर्म का निर्वचप कर सकता है, लेकिन यह कार्य कोई शूद्र कभी नहीं कर सकता – (मनु. 8. 20)

18. जिस राज्य में उसका राजा दर्शक की भांति केवल देखता रहता है और उसी की ही उपस्थिति में शूद्र न्याय का विचार करता है, वह राज्य उसी प्रकार अधोगति को प्राप्त होता है, जिस प्रकार गाय दलदल में नीचे धंस जाती है – (मनु. 8.21.)

19. किसी ब्राह्मण को जो कानून को अच्छी तरह जानता है, अपने प्रति किसी के द्वारा किए गए अपराध के विषय में राजा से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अपनी शक्ति से ही उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है, जिसने अपराध किया है – (वही, 9. 31.)

20. उसकी अपनी शक्ति राजा की शक्ति से अधिक होती है, इसलिए ब्राह्मण अपनी शक्ति से ही अपने शत्रुओं को दंड दे सकता है – (वही, 11. 32.)

21. ब्राह्मण के बारे में यह घोषित है कि वह (विश्व का) सृजक, दंडदाता, शिक्षक है और इसलिए वह (सभी सृजित प्राणियों का) उपकारकर्ता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उससे अपभाषण न करे और न उसके विरूद्ध कटूक्ति ही बोले – (वही, 11. 35)

वर्णों वर्गों में परस्पर संबंध

I

1. चारों वर्णों में उल्टे क्रम में दासता की अनुमति नहीं है – (नारद, 5.39.)

2. तीनों वर्णों के लोग दास बन सकते हैं किंतु ब्राह्मण कभी भी दास नहीं बन सकता। दास–प्रथा तीनों वर्णों अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के मामले में सीधे क्रम में होती है, न कि उलटे क्रम में। शूद्र चारों वर्णों में से किसी का भी दास बन सकता है, वैश्य पहले तीन वर्णों का दास बन सकता है, लेकिन वह शूद्र स्वामी का दास नहीं बन सकता। क्षत्रिय ब्राह्मण या क्षत्रिय स्वामी का दास बन सकता है, किंतु वह वैश्य या शूद्र स्वामी का दास नहीं बन सकता – (कात्यायन, 715–716)

3. ब्राह्मण समान वर्ण का होने पर भी किसी ब्राह्मण से उसे अपना दास बनाकर काम नहीं करा सकता। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समान वर्ण के यहां प्रायः दास बन सकता है, परंतु किसी ब्राह्मण से दास का कार्य कदापि न कराया जाए – (वही, 717–718)

II

4. द्विज के प्रथम विवाह के लिए समान जाति की (पत्नि) हो, लेकिन जो दुबारा विवाह करना चाहे तब जातियों के प्रत्यक्ष क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरे वर्ण की स्त्री ही सर्वाधिक अनुमोदित है – (मनु. 3.12.)

5. यह घोषित किया जाता है कि शूद्र स्त्री केवल किसी शूद्र की पत्नी बन सकती है, वह और वैश्य की अपनी जाति (की स्त्री) ही किसी वैश्य की पत्नी बन सकती है, उक्त दोनों जातियों और क्षत्रिय की अपनी जाति (की स्त्री) ही किसी क्षत्रिय की पत्नी बन सकती है, उक्त तीनों जातियों और ब्राह्मण की अपनी जाति (की स्त्री) ही किसी ब्राह्मण की पत्नी बन सकती है – (वही, 3.13.)

6. यदि कोई द्विज अपनी जाति की या अन्य (निम्न जातियों की) स्त्रियों के साथ विवाह कर ले तो उनकी वरीयता, पद और निवास वर्ण के क्रम के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए – (वही, 9.85)

7. सभी (द्विज पुरूषों में) केवल समान जाति की स्त्री व्यक्तिगत रूप से अपने पति की सेवा–सुश्रुषा करे और वही उसके यज्ञादि कर्मों में उसकी सहायक होगी, किसी दूसरी जाती की स्त्री नहीं – (वही, 9.86)

8. यदि किसी शूद्र ने द्विज जाति की रक्षित या अरक्षित स्त्री के साथ संभोग किया है, तब उसे इस प्रकार दंड दिया जाए : यदि वह अरक्षित थी, तब उसका लिंग कटवा दिया जाए और उसकी समस्त संपत्ति छीन ली जाए : यदि वह रक्षित थी, तब उसका सब कुछ छीन लिया जाए (उसका जीवन भी) – (वही, 8.374)

9. रक्षित ब्राह्मणी के साथ संभोग करने पर वैश्य की समस्त संपत्ति उसे एक वर्ष तक कारागार में रखने के बाद जब्त कर ली जाए, क्षत्रिय को एक सहस्त्र (पण) का अर्थदंड दिया जाए और उसका सिर (गधे के) मूत्र से मुंडवा दिया जाए – (वही, 8.375)

10. अगर कोई वैश्य या क्षत्रिय किसी अरक्षित ब्राह्मणी के साथ संभोग करता है तब वह वैश्य पर पांच सौ पण और क्षत्रिय पर एक सहस्त्र पण का अर्थदंड करें – (वही, 8. 376)

11. यदि कोई वैश्य किसी क्षत्रिय की रक्षित स्त्री के साथ या कोई क्षत्रिय किसी वैश्य की रक्षित स्त्री के साथ संभोग करे, तब ये दोनों वैसा ही दंड पाने के योग्य हैं, जैसा कि किसी अरक्षित ब्राह्मणी के प्रसंग में दिया जाता है – (मनु. 8.382)

12. यदि किसी ब्राह्मण ने इन दोनों (जातियों की) रक्षित स्त्रियों के साथ संभोग किया है तब उसे अर्थदंड स्वरूप एक सहस्त्र पण देने के लिए बाध्य किया जाए। शूद्र (रक्षित) स्त्री के साथ (संभोग करने पर) क्षत्रिय या वैश्य को भी एक सहस्त्र पण का अर्थदंड दिया जाए– (वही, 8. 383.)

13. अरक्षित क्षत्रिय स्त्री के साथ संभोग करने पर वैश्य को पांच सौ पण का अर्थदंड दिया जाए, किंतु (ऐसा ही अपराध करने पर) क्षत्रिय का सिर (गधे के) मूत्र से मुंडवा दिया जाए या उसे उतना ही अर्थदंड दिया जाए – (वही, 8.384.)

14. यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य (जातियों की) अरक्षित स्त्रियों या शूद्र स्त्री के साथ संभोग करता है तब उसे पांच सौ (पण) का अर्थदंड दिया जाए, लेकिन निम्नतम (जातियों की) स्त्री के साथ संभोग करने पर एक सहस्त्र पण अर्थदंड दिया जाए – (वही, 8.385.)

III

15. जो अतिथि (स्वेच्छा से) घर आए तब (गृहस्थ को) चाहिए कि वह उसे नियमानुसार आसन और जल तथा भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन सहित अपनी सामर्थ्य के अनुसार

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

दे– (वही, 3.99)
16. क्षत्रिय जो ब्राह्मण के घर आता है, अतिथि नहीं कहलाता, न वैश्य, न शूद्र न कोई मित्र, न संबंधी न न गुरू – (वही, 3.110.)
17. लेकिन यदि क्षत्रिय अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तब ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद (गृहस्थ) अपनी इच्छानुसार उसको भोजन कराए – (वही, 3.111.)
18. यदि कोई वैश्य और शूद्र भी उसके घर अतिथि के रूप में आए तब वह उसके प्रति दया का भाव प्रदर्शित करते हुए अपने सेवकों के साथ भोजन कराए – (वही, 3. 112.)

कर्तव्य–विशेषाधिकार–छूट–अपात्रता

I

1. जो ब्राह्मण ब्रह्म से मिलन के साधनों पर एकाग्र है और अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़ हैं, आजीवन निम्नलिखित छह कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनका (वर्णन) उनके उचित क्रम के अनुसार किया गया है– (मनु. 10.74.)
2. प्रत्येक ब्राह्मण के लिए ये छह कर्म (निर्धारित हैं), अध्यापन, अध्ययन, स्वयं के लिए यज्ञ करना, अन्यों के लिए यज्ञ करना, दान देना और दान लेना – (वही. 10. 75.)
3. लेकिन उसके लिए (निर्धारित) छह कर्मों में से तीन कर्म उसकी जीविका के साधन हैं अर्थात अन्यों के लिए यज्ञ करना, अध्यापन और पवित्र व्यक्तियों से दान ग्रहण करना– (वही, 10.76.)
4. ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय के लिए तीन कर्म, जो ब्राह्मण के लिए अनिवार्य हैं अर्थात अध्यापन, अन्यों के लिए यज्ञ करना और उसके निमित्त दान ग्रहण करना, वर्जित हैं– (वही, 10.77.)
5. इसी प्रकार ये तीनों कर्म वैश्य के लिए वर्जित हैं, यह शाश्वत नियम हैं क्योंकि मनु ने जो समस्त जीवों के स्वामी (प्रजापति) हैं ये कर्म उक्त दोनों (जातियों के व्यक्तियों के लिए) निर्धारित नहीं किए हैं – (वही, 10.78)
6. मारने के लिए और फेंक कर मारने के लिए शस्त्रास्त्र धारण करना क्षत्रियों के लिए, व्यापार करना, पशु (पालन) करना और कृषि वैश्यों के लिए जीविकार्थ निर्धारित कर्म हैं, लेकिन उनके कर्तव्य हैं, दान देना, वेदाध्ययन और यज्ञ करना – (वही, 10.79.)
7. सभी व्यवसायों में से ब्राह्मणों के लिए वेद का अध्यापन, क्षत्रिय के लिए लोगों की सुरक्षा करना और वैश्य के लिए व्यापार करना सबसे अधिक उत्तम कर्म हैं– (वही, 10.80)
8. ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम कर्म कहा गया है क्योंकि इसके अतिरिक्त वह जो कुछ करेगा, उसका उसे कोई फल नहीं मिलेगा– (वही, 10. 123.)

II

9. लेकिन यदि ब्राह्मण अपने इन विशिष्ट कर्मों से जिनका अभी उल्लेख किया गया है, अपना जीवन–निर्वाह नहीं कर सके तब क्षत्रियों के लिए लागू नियम से जीवन निर्वाह कर सकता है, क्योंकि वह पद के अनुसार उसके बाद आता है – (मनु., 10.81.)
10. यदि यह पूछा जाए कि अगर वह इन दोनों कर्मों में से किसी भी एक कर्म से अपना जीवन–निर्वाह नहीं कर सके तब क्या किया जाए तो उत्तर है कि वह वैश्य की जीवन–पद्धति अपना ले, स्वयं खेती करे और पशु–पालन करें – (वही 10.82.)
11. जीविका के लिए संकट–ग्रस्त होने पर क्षत्रिय इन साधनों से जीविका निर्वाह करे जो वैश्य के लिए वर्जित नहीं हैं – (वही, 10.95.)
12. अपने कार्यों से जीवन–निर्वाह न कर सकने वाला वैश्य शूद्र की जीवन–पद्धति द्वारा अपना जीवन–निर्वाह करे और यह विचार न करे कि ये कार्य तो (उसके लिए) निषिद्ध हैं और जब वह समर्थ हो जाए तब उसे उस कार्य से निवृत्त हो जाना चाहिए – (वही, 10.98.)
13. लेकिन जब शूद्र को द्विजों से सेवा–कार्य न मिल सके और जब उसकी पत्नी, पुत्रों आदि के भूख से मर जाने की स्थिति आ जाए, तब उसे काठ कर्म द्वारा जीविका का निर्वाह करना चाहिए – (वही, 10.99.)

III

14. क्षत्रिय उद्दंड होकर कभी भी वह जीवन–पद्धति न अपनाए जो (उससे) श्रेष्ठ (अर्थात ब्राह्मणों के लिए) निर्धारित है – (वही, 10.95.)
15. राजा को वैश्य को व्यापार करने, ब्याज पर धन देने, कृषि करने पशु उधार देने और शूद्र को द्विज जातियों की सेवा करने का आदेश देना चाहिए – (वही, 8.410.)
16. राजा सावधानीपूर्वक वैश्यों और शूद्रों को अपना–अपना कर्तव्य (जो उनके लिए निर्धारित हैं) करने के लिए बाध्य करे, अगर ये दोनों जातियां अपने–अपने कर्म से विरत होती हैं, तब वे इस समस्त संसार को अस्त–व्यस्त कर डालेंगी – (वही, 8.418)

IV

1. कोई भी राजा अंधे व्यक्ति को, मूर्ख को, (अपंग को) जो लाठी के सहारे के बिना उठ–बैठ या चल न सकता हो, उस व्यक्ति को जिसने सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो श्रोत्रियों को आर्थिक सहायता देता है, कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा – (मनु. 8.394.)
2. कोई भी राजा (अभाव से) कितना ही ग्रस्त क्यों न हो, फिर भी श्रोत्रियों पर कर न लगाए और उसके राज्य में निवास करने वाला कोई भी श्रोत्रिय भूख से न मरे – (वही, 7.133.)
3. राजा अपने राज्य में रहने वाले साधारण जनों से जो फुटकर वस्तुओं की खरीद बिक्री से जीवन–निर्वाह करते हैं, कुछ धन वार्षिक देने को कहे जिसे कर कहा जाता है– (वही, 7.137.)
4. वह (राजा) यांत्रिकों और कारीगरों के साथ–साथ शूद्रों से भी जो शारीरिक श्रम कर जीवन–यापन करते हैं (अपने लिए) महीने में एक दिन काम करवाए – (वही, 8. 138)
5. ब्राह्मण के लिए मृत्यु–दंड के स्थान पर उसका सिर मुंडा देना निश्चित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों के लोगों के लिए मृत्यु–दंड निश्चित किया गया है– (वही, 8.379)
6. (राजा) किसी भी ब्राह्मण का वध न कराए चाहे उस बाह्मण ने सभी अपराध क्यों न किए हों, वह ऐसे (अपराधी को) अपने राज्य से निष्कासित कर दे और उसे (अपनी) समस्त संपत्ति और अपना (शरीर) सकुशल ले जाने दे– (वही 8.380.)
7. इस पृथ्वी पर ब्राह्मण के वध से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं समझा जाता है, इसलिए राजा को अपने मन में किसी ब्राह्मण का वध करने का विचार नहीं लाना चाहिए – (वही, 8.381)
8. जब किसी विद्वान ब्राह्मण को प्राचीन–काल में भूमि में गड़ी कोई निधि मिल जाए तब वह उसे सारी की सारी ग्रहण कर ले क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु का स्वामी है (वही, 8.37.)
9. जब राजा को भूमि में गड़ी कोई पुरानी निधि मिल जाए तब वह उसका आधा भाग ब्राह्मणों को दे दे और शेष आधा भाग अपने राजकोष में जमा कर दे – (मनु., 8.38.)

जीवन–चर्या

1. प्रत्येक शूद्र जो शुचिपूर्ण है, जो अपने से उत्कृष्टों का सेवक है, मृदुभाषी है, अहंकार रहित है सदा ब्राह्मणों के आश्रित रहता है, (अगले जन्म में) उच्चतर जाति प्राप्त करता है – (वही, 9.335.)
2. लेकिन शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करे चाहे स्वर्ग के लिए हो या चाहे दोनों उद्देश्यों के लिए (अर्थात इस जन्म और इससे अगले जन्म के लिए) हो, क्योंकि वह जो ब्राह्मण का सेवक कहा जाता है, अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है – (वही, 10.122.)
3. यदि कोई शूद्र (जो ब्राह्मणों की सेवा से अपना जीवन–निर्वाह नहीं कर पाता है) जीविका चाहता है तब वह क्षत्रिय की सेवा करे या वह किसी धनी वैश्य की सेवा कर अपना जीवन–निर्वाह करें – (वही. 10.121.)
4. उनको चाहिए कि वे उसकी योग्यता, उसके परिश्रम और यह ध्यान में रखकर कि उसे कितने आश्रितों का पालन–पोषण करना है, अपने परिवार (की संपत्ति में से) उसके लिए उचित अंश जीवन–निर्वाह के लिए नियत कर– (वही, 10.124.)
5. खाने से बचा हुआ अन्न तथा पुराने वस्त्र, बचा हुआ अनाज और गृहस्थी का पुराना सामान उसे अवश्य दिया जाए – (वही, 10.125.)
6. किसी भी शूद्र को संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए चाहे वह इसके लिए कितना भी समर्थ क्यों न हो, क्योंकि जो शूद्र धन का संग्रह कर लेता है, वह ब्राह्मणों का कष्ट देता है – (वही, 10.129.)
7. यथा शास्त्र जीवन–निर्वाह करने वाले शूद्रों को हर महीने अपना मुंडन करवाना चाहिए, उनकी शुचि का विधान वैसा ही होगा जैसा वैश्यों का होता है और उनका भोजन आर्यों के भोजन का उच्छिष्ट अंश होगा– (वही, 5. 140.)

जैसा कि कहा जा चुका है, प्राचीन विधि–निर्माताओं ने जिस समाज के लिए अपनी–अपनी व्यवस्थाएं दीं, वह दो भागों में था। एक भाग उन लोगों का था जो चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था में सम्मिलित थे। दूसरे भाग में वे लोग आते थे जो चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था से बाहर थे। मनुस्मृति में इन्हें बाह्य अर्थात चातुर्वर्ण्य की परिधि से बाहर कहा गया है। उन्हें निम्न जाति कहा गया है। इस निम्न जाति का उद्भव ऐसा विषय है, जिससे फिलहाल अभी मैं संबंधित नहीं हूं। यहां इतना ही कहना यथेष्ट है कि हिंदुओं के इन प्राचीन विधि–निर्माताओं के अनुसार इन निम्न जातियों की उत्पत्ति उन चारों वर्णों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच परस्पर विवाह संबंध होने से हुई, जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। यह कहां तक सच है, इस पर कभी बाद में विचार किया जाएगा। हम मुख्यतः सामाजिक संबंधों से संबंधित हैं, इनकी उत्पत्ति से नहीं। अब तक जिन विधानों की चर्चा की गई है, वह उन लोगों से संबंधित है, जो चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब उन नियमों की चर्चा की जानी है, जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के बाहर रखे गए अथवा जिन्हे निम्न जाति कहा गया। आश्चर्य यह है कि जो नियम निम्न जातियों की जीवन–चर्या नियंत्रित करते हैं, वे बहुत थोड़े हैं। ये नियम यद्यपि बहुत थोड़े बहुत थोड़े हैं तो भी इन नियामकों ने उन्हें इतना संक्षिप्त कर दिया है कि किसी को नियमों की ब्यौरेवार संहिता की कोई आवश्यकता नहीं हुई। ये नियम निम्नलिखित है :

1. इस पृथ्वी पर जो भी जातियां उस समुदाय से अलग रखी गई हैं जो मुख, बाहु, जंघा और (ब्राह्मण के) पैरों से जन्मी हैं, वे दस्यु कहलाती हैं, जो चाहे म्लेच्छों (बर्बर जातियों) की भाषा बोलती हो या आर्यों की – (मनु., 10. 45.)
2. ये जातियां प्रसिद्ध वृक्षों और श्मशान भूमि के निकट या पर्वतों पर और झाड़ियों के पास निवास करें, (कुछ चिह्नों से) जानी जाएं और अपने विशिष्ट व्यवसाय से जीविकोपार्जन करें – (वही, 10.50.)
3. लेकिन चांडालों और श्वपचों के घर गावं के बाहर होंगे, उन्हें अपपात्र बनाया जाना चाहिए और उनकी संपत्ति कुत्ते और गधे होंगे – (वही, 10.51.)
4. मृतक के वस्त्र इनके वस्त्र होंगे, वे टूटे–फूटे बर्तनों में भोजन करेंगे, उनके गहने काले लोहे के होंगे, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते–जाते रहेंगे – (वही, 10.52.)
5. धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति इन लागों के साथ व्यवहार न रखे और उनके व्यवहार उनके अपने ही समुदाय में होंगे और विवाह समान व्यक्तियों के साथ ही होंगे – (मनु, 10.53.)
6. उनका भोजन (आर्य दाता के अतिरिक्त) अन्य के द्वारा टूटे–फूटे बर्तन में दिया गया होगा। रात्रि के समय वे गांवों और नगरों के आस–पास नहीं जाएंगे – (वही, 10.54.)
7. दिन में वे, राजा के द्वारा चिह्नों से अंकित हो जिससे वे अलग–अलग पहचाने जा सकें, अपने–अपने काम के लिए जाएंगे और उन व्यक्तियों के शवों को ले जाएंगे जिनके कोई सगे–संबंधी नहीं हैं, यही शास्त्र–सम्मत मर्यादा है – (वही, 10.55.)
8. वे राजा का आदेश होने पर अपराधियों का वध कानून में विहित विधि के अनुसार हमेशा करेंगे और वे अपने लिए (ऐसे) अपराधियों के वस्त्र, शैया और आभूषण प्राप्त करेंगे – (वही, 10.56.)
9. जो भी व्यक्ति निम्नलिखित जातियों की किसी स्त्री के साथ संबंध रखता है, उसका वध कर दिया जाएगा– (विष्णु, 5.43.)
10. अगर कोई व्यक्ति जिसको (चांडाल या किसी अन्य निम्न जाति का होने के कारण) स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, जान–बूझकर अपने स्पर्श से ऐसे व्यक्ति को अपवित्र करता है, जो द्विज जाति का होने के कारण (केवल द्विज व्यक्ति द्वारा ही) छुआ जा सकता है, तो उसका वध कर दिया जाएगा – (वही, 5.104.)

साभार :
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङमय खंड–9
पेज संख्या 101 से 118 तक

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में

धोंडीराव : पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु, सभ्य शासकों ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के (धर्म) नीति–नियमों को ठुकरा दिया है। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा (विराट पुरूष) ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा (गुलामी) करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है।

ज्योतिराव : अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है, यही तुम्हारा कहना है न! इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन–कौन–सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या–क्या लिखा गया है?

धोंडीराव : इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम, दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी लिखा नहीं गया।

ज्योतिराव : तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिलकुल हैं ही नहीं?

धोंडीराव : अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं।

ज्योतिराव : फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार से लिखा गया है?

धोंडीराव : इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति–सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारी मानव समाज पर लागू नहीं होता।

ज्योतिराव : इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचानकर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता, तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पांबदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने चार वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर, सभी सृष्टिक्रमों से तुलना करके देखा जाए, तो वह पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार ही दिखाई देगी।

धोंडीराव : मतलब, यह कैसे?

ज्योतिराव : ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदिमाता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों?

धोंडीराव : क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी। इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए।

ज्योतिराव : हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदिमाता ब्राह्मणी ही है न? फिर तुम उसको म्लेच्छों की पंक्ति में किसलिए रखते हो? उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बहुत गलत बात कर रहा है।

धोंडीराव : आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदिवंशज जो ऋषि थे, वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे। और अब आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी, इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजी राज्य के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रूक जाइए। तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट, गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज्यादा–से–ज्यादा कृपा हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे–खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी लेने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज ने आदिब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत–सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए।

ज्योतिराव : अच्छा, जैसी आपकी मरजी, वही सच क्यों न हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है, वह हर माह मासिक धर्म (माहवारी) आने पर तीन–चार दिन के लिए अपवित्र (बहिष्कृत) होता था या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र (शुद्ध) होकर घर के काम–धंधे में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है कि नहीं?

धोंडीराव : नहीं। किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं, क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते।

ज्योतिराव : इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बांहें, जांघें और पांव–इन चार अंगो की योनि, माहवारी (रजस्वला) के कारण, उसको कुल मिलाकर सोलह दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर–दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम–धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं?

धोंडीराव : नहीं जी।

ज्योतिराव : अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा, उस दिन से लेकर नौ महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में भी मनु ने कुछ कहा है या नहीं?

धोंडीराव : नहीं जी।

ज्योतिराव : अच्छा। फिर जब यह ब्राह्मण पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं?

धोंडीराव : नहीं जी।

ज्योतिराव : अपनी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में नौ महीने तक संभालकर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है।

धोंडीराव : उसके (ब्रह्मा के) शेष तीन सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस बारे में पैदा होगी?

क्या है? उस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी?

ज्योतिराव : वह रंडीबाज इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग (व्यभिचार) किया था। इसीलिए उसका उपनाम बेटीचोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका मान–सम्मान (पूजा) नहीं कर रहा है।

धोंडीराव : यदि सचमुच में ब्रह्मा को चार मुंह होते, तो उसी हिसाब से उसे आठ स्तन, चार नाभियां, चार योनियां और चार मलद्वार होने चाहिए। किंतु इस बारे में सही जानकारी देनेवाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। फिर, उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोनेवाले को, लक्ष्मी नाम की स्त्री, हाने पर भी, उसने अपनी नाभि से चार मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी।

ज्योतिराव : वास्तव में, हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्रपार जो ईरान नाम का देश है, वहां के मूलनिवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी–बड़ी टोलियां बना कर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहां के मूलनिवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार–बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर (बटू) वामन के बाद आर्य (ब्राह्मण) लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहां के हमारे आदिपूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा–हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति–नियम बनवाए। इस सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने–आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया 'ब्राह्मण'।

फिर मनु महाराज जैसे (ब्राह्मण) अधिकारी हुए। पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति–नियमों का विरोध बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई–नई तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन–मस्तिष्क में ठूंस–ठूंसकर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग शैया की दूसरी अंधी कथा (पुराण कथा) गढ़ी और समय देखकर, कुछ समय के बाद, उन सभी पाखंडो के ग्रंथ–शास्त्र बनाए गए। उन ग्रन्थों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त, चतुर, सदा औरतों में रहनेवाले छिछोरे द्वारा ताली पीट–पीटकर उपदेश करने की वजह से यूंही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाम शैया करनेवाले के बारे में खोज करने लगे, तो उससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का यह बड़ा कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह चार मुंहवाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे यह औंधे मुंह पड़े गरीब पर ऊपर से पांव रखने जैसा लगता है, इसमें अब कुछ मजा नहीं है।

साभार – गुलामगीरी,
परिच्छेद एक(पृ.सं. 30 से 33 तक)
रचनाकार – ज्योतिराव फूले
अनुवादक–डा0 विमल कीर्ति

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

कुशल बनो। उत्पादन करो।। अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार रहो।।।

मानवता को वापस भुगतान करें
Pay back to humanity
कुछ भी संभव है
अगर आपको खुद पर विश्वास है

रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारी महासंघ ट्रस्ट

Defence And Multiple Civilian Employee Federation Trust

पंजीयन सं० 34 दिनांक 18/10/2023

भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत

कार्यक्षेत्र समस्त भारत

–: पंजीकृत कार्यालय –

ग्राम व पोस्ट – रिवई (सुनैचा)
थाना – कबरई, जिला महोबा (उ० प्र०)
मो०: 7839007418
E-mail : damceftrust@gmail.com
Website : www.dbindia.org.in

–: प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश :–

म० न० 50B, तुलसी नगर
नियर पी० ए० सी० गेट
श्याम नगर, कानपुर (उ० प्र०)
मो०: 9506623779

प्रदेश प्रभारी

बीरबल वर्मा

मो०: 9936429765

लक्ष्य – रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं से भारत सरकार एवं सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों विभागों को अवगत कराना और उनके निराकरण हेतु कानून बनवाने आदि की मांग करना।
रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से वंचित, पीड़ित, शोषित प्राणियों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना।
शिक्षा – निःशुल्क शिक्षा हेतु भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना।
स्वास्थ्य – चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान करवाना और चिकित्सालयों की स्थापना करना।
सामाजिक सुरक्षा – व्यक्तियों के संकट के समय, जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभ प्रदान करना है।
रक्षा – रक्षा में लगे कर्मचारियों व उनके परिवार से है।
और – सभी
विभिन्न नागरिक कर्मचारी – संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्मकारों से हैं। (सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर)
महासंघ – भारत के नागरिकों का संगठन से है।
ट्रस्ट – विश्वास/भरोसा है।

उस संगठन को दान दें
जिस पर आप विश्वास करते हैं
Make Donations to
an Organization You Believe In

–: उद्देश्य :–

- लक्ष्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्त करना आदि।
- संचालित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में गरीब बच्चों को शिक्षण हेतु प्रवेश दिलाना और उनका खर्च वाहन करना।
- रोजगार के सृजन के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना/संचालन करना आदि।
- भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डा० अम्बेडकर के विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करने वाले नागरिकों को ''डा० अम्बेडकर विचार प्रचार रत्न'' से सम्मानित किया जाना।
- प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करना आदि।

अतः आप सभी भारत के नागरिकों से अपील है कि तन, मन, से सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निवेदक –

सियाराम

राष्ट्रीय संयोजक/न्यासी, **मो०: 9454923394**

अनिल कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम)
मो०: 8593630338, 07897757223
श्रीमती उमेश्वरी देवी
राष्ट्रीय संयोजक (मुद्रण एवं संचार)
मो०: 9005204074, 8756157631
मनोज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (बेसिक शिक्षा विभाग)
मो०: 8787010365
पंकज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
मो०: 7906006187
लेखचन्द्र गुप्ता
राष्ट्रीय संयोजक (खेल)
मो०: 9235728318
अजय कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (राज्य कर्मचारी)
मो०: 7007822504
महिपाल
राष्ट्रीय संयोजक (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9935456466
जगदीश प्रसाद दिनकर
राष्ट्रीय संयोजक (हथकरधा विभाग)
मो०: 9455593651
विवेक कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सामाजिक संगठन)
मो०: 9616961612
श्रीमती सविता
राष्ट्रीय संयोजक (असंगठित क्षेत्र)
मो०: 8400430633
कु० ललिता
राष्ट्रीय संयोजक (महिला विभाग)
मो०: 7985811410
आशीष कुशवाहा
राष्ट्रीय संयोजक (अनुशिक्षण)
मो०: 8318038232
डा० अति दीपादन
राष्ट्रीय संयोजक (स्मारक एवं पार्क कर्मचारी)
मो०: 7269887945, 9258704062
विवेक कुमार चौधरी
राष्ट्रीय संयोजक (आयुध निर्माणियाँ अस्पताल)
मो०: 96969778910
महेश चन्द्र अहिरवार
राष्ट्रीय प्रवक्ता
मो०: 6388370835, 9956845323
विनोद कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (संविदा एवं व्यापार)
मो०: 9935783705

–: राज्य कार्यालय छत्तीसगढ़ :–

वार्ड नं० 35 दुर्गा नगर
नियर नगर पालिका निगम कार्यालय के पास
जिला रायपुर
श्रीमती रमा गजभिये
राष्ट्रीय संयोजक (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र)
मो०: 7828273934
आयुष गजभिये
राज्य प्रभारी
मो०: 9131112561
राजबहादुर अहिरवार (बस्तर)
राज्य सहप्रभारी
मो०: 620306631

–: राज्य कार्यालय राजस्थान :–

जी–19, नियर आटो स्टैण्ड
खुदानपुरी, जिला – अलवर
ताराचन्द
राज्य प्रभारी
मो०: 8504063363

–: पूर्वोत्तर राज्य कार्यालय असम :–

ग्राम – चिपरसंगम पार्ट–1
पो० – अलगापुर जिला – हैलाकांदी
बिलालुद्दीन चौधरी
प्रभारी पूर्वोत्तर राज्य
मो०: 9401027750
भवानी बूढ़ा ठोकी
प्रभारी असम राज्य
मो०: 6000539663
हरीनाथ चौहान
राष्ट्रीय संयोजन (असम & बिहार राज्य)
मो०: 6000380690
रितुदास
राष्ट्रीय संयोजक (असम & पं० बंगाल राज्य)
मो०: 8638349801

–: प्रभारी हरियाणा राज्य :–

देवेन्द्र सहरावत
मो०: 9068831086

–: प्रभारी बिहार राज्य :–

अनिलदास # 9651217573
रामप्यार साह # 6263491099

–: प्रभारी म० प्र० राज्य :–

महेन्द्र तुरकर
प्रदेश प्रभारी
मो०: 8878372412
पुष्पेन्द्र अहिरवार
प्रदेश प्रभारी
मो०: 9669376505
रमाशंकर
प्रदेश प्रभारी उ० प्र० (बेसिक शिक्षिक)
मो०: 9450850778
ईश्वरी प्रसाद
राज्य संयोजक उ० प्र० (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9794366838
रामसिंह
मण्डल संयोजक झांसी
मो०: 9616838281, 6392558232
अनिल कुमार
मण्डल प्रभारी कानपुर
मो०: 9198414002
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक वाराणासी
मो०: 9935363730, 9170836363
दातादीन
मण्डल संयोजक लखनऊ
मो०: 8115511006
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8948990184
सुभाष चन्द्र
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8303995957
सुभाष कुमार
मण्डल संयोजक कानपुर
मो०: 9695931879
राकेश कुमार
जिला प्रभारी इटावा
मो०: 8009802461

पदाधिकारी बनने के लिए सम्पर्क करें – 9454923394

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

आरक्षण के सौ साल

26 जुलाई, 2002 को आधुनिक आरक्षण के सौ वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर देश भर में दलितों के विभिन्न संगठनो ने सभाएं व संगोष्ठियां आयोजित कर आरक्षण के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विशद चर्चा की। कांशीराम के संगठन बामसेफ ने तो पिछले वर्ष को बाकायदा **आरक्षण शताब्दी वर्ष** घोषित कर 26 जुलाई, 2001 से चर्चा का अभियान चलाया जिसका समापन समारोह 26 जुलाई, 2002 को अनुष्ठित हुआ। लेकिन आरक्षण शताब्दी वर्ष की गूंज मीडिया में नहीं सुनाई पड़ी। कारण, प्रभुवर्ग के बुद्धिजीवियों ने इसे चर्चा का विषय नहीं बनाया। शायद इच्छाकृत रूप से ही। पर उन्हें इस विशेष अवसर का उपयोग आरक्षण के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विस्तृत चर्चा करके करना चाहिए था। इससे उन लोगों को आरक्षण के मानवीय पक्ष से अवगत कराने का मौका मिलता जो इसके खात्मे की सदा कामना करते रहते हैं।

वास्तव में आरक्षण के खात्में की कामना करने वालों को यह पता ही नहीं है कि भारत प्राचीनकाल से ही आरक्षण का देश रहा है और जो वर्ण–व्यवस्था हिन्दू–धर्म का प्राण व आधार है, वह समाज को परिचालित करने वाली एक विशुद्ध धार्मिक–व्यवस्था न होकर देश के समस्त संसाधनों एवं उच्चमान के लाभकारी पेशों को, कुछ विशेष जाति और वर्णों के लिए आरक्षित करने वाली व्यवस्था है। क्षत्रियों के शस्त्रों के साये में पालित ब्राह्मणों के शास्त्रों के आदेश से वैदिक भारत में शुरू इस हिन्दू–आरक्षण व्यवस्था में शूद्रों (अछूत, आदिवासी, पिछड़े) के लिए भू–स्वामी, शिक्षक, पुरोहित, मंत्री, राजनेता, सैनिक, डॉक्टर, इंजिनियर, व्यवसायी इत्यादि बनने का कोई अवसर ही नहीं था। बौद्ध शासकों के बाद सदियों से जारी हिन्दू–आरक्षण–व्यवस्था की चट्टानी दीवारों को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ अंग्रेज शासकों द्वारा। उन्होंने भारतीय दंड संहिता के द्वारा कानून की नजरों में सबको बराबर करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने का अधिकार शूद्रातिशूद्रों को भी सुलभ कराया। किन्तु ये लोग हिन्दू–आरक्षण द्वारा इतना कमजोर कर दिए गए थे कि अंग्रेजों द्वारा सुलभ कराए गए अवसर का उपयोग न कर सके। फलतः जन्मसूत्र से सवर्णों का विभिन्न संसाधनों और पेशों पर एकाधिकार अटूट रहा।

हिन्दू–आरक्षण–व्यवस्था (वर्ण–व्यवस्था) द्वारा सृष्ट सामाजिक अन्याय से सर्वप्रथम उद्वेलित हुए ज्योतिबा फुले। उन्होंने इस प्राचीन आरक्षण के खात्मे का संकल्प लिया और इसके विरूद्ध आंदोलन चलाने के लिए जिस विचार प्रणाली का निर्माण किया, उससे जन्म हुआ प्रतिनिधित्व पर आधारित आधुनिक आरक्षण व्यवस्था का। फुले ने 1873 में अपने क्रांतिकारी ग्रन्थ **गुलामगिरी** में लिखा– **हमारी दयालु (अंग्रेज) सरकार को भट्ट–ब्राह्मणों को उनकी संख्यानुसार सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, किन्तु उसके साथ ही अन्य छोटी जातियों के लोगों की भी उनकी जनसंख्या के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए।** आज से एक सौ तीस वर्ष पूर्व भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना का जो सूत्र फुले ने दिया उससे प्रेरणा लेकर परवर्तीकाल में ई.वी. रामास्वामी पेरियार, डॉ. आंबेडकर और कांशीराम ने अपने कार्यक्रमों को व्यापक आयाम जरूर दिया लेकिन 'आरक्षण' के 'पायोनियर' बने कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी। उन्होंने 26 जुलाई, 1902 को अपने राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए 50 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण जारी कर दिया। उस जमाने में पिछड़े वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) का तात्पर्य अस्पृश्य, आदिवासी, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों से था। 26 जुलाई, 1902 को शाहूजी महाराज द्वारा हिन्दू आरक्षण की विकल्प व्यवस्था की बुनियाद रखी जाने के 27 वर्ष बाद आरक्षण को और विस्तृत आयाम पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने दिया। उनके द्वारा चलाए गए द्रविड़ आंदोलनों के फलस्वरूप मद्रास प्रान्त में **जस्टिस पार्टी** की सरकार के तत्वाधान में 27 दिसम्बर 1929 को जनसंख्या के अनुपात में डिप्रेस्ड क्लास को सरकारी नौकरियों में 70 प्रतिशत की भागीदारी मिली। यह अध्यादेश तमिलनाडु के इतिहास में **कम्युनल जी.ओ.** के नाम से मशहूर है जिसमें सभी जाति–धर्मों के लोगों को उनकी संख्यानुपात में आरक्षण का प्रावधान था। वास्तव में भारत में कानून आरक्षण की यह पहली व्यवस्था थी।

लेकिन सुदीर्घ अतीत की हिन्दू–आरक्षण व्यवस्था के विरूद्ध व्यापकतर विकल्प तब सामने आया जब सामाजिक क्रांति के आंदोलनों की बागडोर डॉ. आंबेडकर के हाथों में आई। उन्होंने शूद्र–अतिशूद्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जब उन्होंने अस्पृश्यों की ओर से निवेदन करते हुए उक्त मांग रखी। उस समय उन्होंने पिछड़ी जाति के नेताओं से भी साइमन कमीशन के समक्ष पृथक एवं स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग रखने का अनुरोध किया था पर वे लोग गांधी के अत्यधिक प्रभाव में अपने समाज के अधिकारों की उपेक्षा कर गए। उसके बाद 1930, 1931 एवं 1932 में ब्रिटेन में आयोजित गोलमेज बैठकों में हिन्दू–आरक्षण व्यवस्था के विरूद्ध रखे गए डॉ. आंबेडकर के तर्कों ने परवर्तीकाल में पूना पैक्ट से होते हुए संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा कैसे बदल कर रख दी, इससे सभी वाकिफ हैं। हाँ, इस बात से सभी वाकिफ नहीं हैं कि डॉ. आंबेडकर द्वारा संविधान में रचा गया धारा 340 का प्रावधान ही 7 अगस्त, 1990 को भारत सरकार द्वारा, पिछड़ी जातियों को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण घोषित करने का आधार बना।

फुले से प्रेरणा लेकर डॉ. आंबेडकर ने हिन्दू आरक्षण व्यवस्था में पूरी तरह वंचित आबादी के लिए सरकारी नौकरियों और विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का सूत्र जरूर रचा। पर यदि प्रभुजातियों के उदार व विवेकवान लोगों का समर्थन नहीं मिलता, तो आरक्षण को अमली जमा पहनाना कठिन होता। लेकिन प्रभुजातियों के ही आम लोग डॉ. आंबेडकर प्रवर्तित आरक्षण–व्यवस्था को सहजता से न ले सके। सामाजिक लोकतंत्र अपने चरित्र में विकसित न कर पाने के कारण वे इस आरक्षण के प्रति सदा ईर्ष्याकातर रहे। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण सुलभ करा दिया गया, तब उनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया जो आत्मदाह व विभिन्न तरह की विध्वंसक गतिविधियों के रूप में सामने आई। ऐसी गतिविधियों में उन दिनों लाल, भगवा, तिरंगा में रंगा पूरा प्रभु–वर्ग ही शामिल था। हालांकि सबसे पहले भगवाधारियों ने ही फेंका धर्म का वह निरपरिचित अमोघ अस्त्र जिसे वैदिक मनीषियों ने बहुजन समाज को दास बनाने के ही उद्देश्य से विकसित किया था। लेकिन धर्म के ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा कारगर चाणक्य नीति साबित हुई।

अटलजी जिन्हें आदर से गुरूघंटाल कहते रहे हैं, वे नरसिंह राव जी **आधुनिक चाणक्य** के रूप में भी मशहूर रहे। हाथ में क्षमता आने पर आधुनिक चाणक्य ने आरक्षण विरोध का दृष्टिकटु प्रदर्शन न करते हुए चाणक्य नीति के सूत्रों का अवलम्बन किया। प्राचीन चाणक्य ने रास्ते में पड़ी कंटीली घास (कुश) को ऊपर से न काटकर समूल नष्ट करना ही श्रेयकर समझा था। आधुनिक चाणक्य ने प्राचीन चाणक्य नीति का अनुसरण करते हुए, हिन्दू आरक्षण के मखमली मार्ग में उभरी कंटीली घास जैसी आंबेडकरी आरक्षण को चुपचाप समूल नष्ट करने की परिकल्पना की क्योंकि संयोग से उन्हें भू–मंडलीकरण नामक 'मट्ठा' मिल गया थां मट्ठे का प्रयोग करते देख दलित बुद्धिजीवियों का माथा तो ठनका, पर अटलजी के हाथों में सत्ता की बागडोर पहुंचते ही वे पुनः आश्वस्त होकर सामाजिक चेतना के प्रसार में जुट गए। क्योंकि उन्हें लगा स्वदेशी के परम हिमायती राष्ट्रवादी अटलजी 'मट्ठे' का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही वे अपने गुरूघंटाल को बौना करने में जुट गए। उन्हें डर था कि पक्ष–विपक्ष में बैठे आरक्षित वर्ग के संख्या गरिष्ठ सांसद, कहीं कंटीली घास की रक्षा के लिए उन्हें ही सत्ताच्युत न कर दें। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1429 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा दिया जबकि इसे और दो वर्षों के लिए वे टाल सकते थे। अपने गुरूघंटाल के अधूरे पड़े काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए था ऐसा कोई योग्य सहयोगी जिसके दिल में आरक्षण शूल की तरह चुभता हो। ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्हें अरूण शौरी से बेहतर सहयोगी कहां मिलता। **वर्शिपिंग फाल्स गॉड** के प्रकाशन के बाद दलितों से मिली भर्त्सना वा लांछना का प्रतिशोध लेने की ताक में शौरी भी थे ही। अतः दलितों की भावना को नजरअंदाज करते हुए शौरी को अपनी टीम में शामिल करने में अटलजी ने काल विलम्ब नहीं किया। आरक्षण के खात्मे के लिए शौरी का चयन कितना निर्मूल निर्णय था, इतिहास इसका साक्षी है। भू–मंडलीकरण की नीति का जब आधुनिक चाणक्य ने सोत्साह वरण किया तभी दलितों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कुंडली मारने लगी और जब उनके समक्ष वाजपेयी जी के अटल इरादे जाहिर हो गए तो यह मांग उनके विभिन्न मंचों पर गूंजने लगी। उन्हें लगा कि सरकारी क्षेत्र से नौकरियों के सारे अवसर निजी क्षेत्र में खिसकाएं जा रहे हैं, तो दलितों का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू हों। इसलिए **आरक्षण शताब्दी** वर्ष में दलित के जितने संगठनों ने सभा–संगोष्ठियां आयोजित की, सब में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग प्रधान थी। एकमात्र अपवाद रहा 12–13 जनवरी, 2002 को भोपाल में अनुष्ठित दलित सम्मेलन, जहां सुप्रसिद्ध दलित चिंतक चन्द्रभान प्रसाद के नेतृत्व में शामिल दलित बुद्धिजीवियों ने न सिर्फ निजी क्षेत्र बल्कि सरकारी क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण में ही दलितों का भविष्य सुरक्षित है, यह मानने से इनकार कर दिया।

सभा–संगोष्ठियां आयोजित की, सब में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग प्रधान थी। एकमात्र अपवाद रहा 12–13 जनवरी, 2002 को भोपाल में अनुष्ठित दलित सम्मेलन, जहां सुप्रसिद्ध दलित चिंतक चन्द्रभान प्रसाद के नेतृत्व में शामिल दलित बुद्धिजीवियों ने न सिर्फ निजी क्षेत्र बल्कि सरकारी क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण में ही दलितों का भविष्य सुरक्षित है, यह मानने से इनकार कर दिया।

भोपाल सम्मेलन में दलितों की वर्तमान स्थिति और विकास के विभिन्न मॉडलों से अवगत कराने के लिए चन्द्रभान प्रसाद ने जो भोपाल–दस्तावेज तैयार किया था, उसमें देखा गया कि केन्द्रीय श्रम–मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2000–2001 के अनुसार क्रमशः सरकारी और निजी क्षेत्र में 1.94 करोड़ और 86.96 लाख नौकरियां हैं। यदि मान लिया जाए कि इन क्षेत्रों का सारा कोटा 22.50 प्रतिशत के हिसाब से पूरा कर दिया जाता है तो क्रमशः 45 लाख दलित रोजगार पाएं। यदि एक व्यक्ति की नौकरी से 5 लोगों का भरण–पोषण होता है तो 64.57 X 5 = 322.85 लाख लोगों की गुजर–बसर हो सकती है। वर्तमान में दलितों (अस्पृश्यों–आदिवासियों) की आबादी 25 करोड़ के आस पास पहुंच चुकी है। इस विशाल आबादी के आधे से अधिक लोग भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। जिनके पास जमीन है वे भी पूरी तरह स्वनिर्भर नहीं हैं। गरीबी हटाने, गाय–बकरी–सुअर पालने, रोड के किनारे दुकान खोलने के लिए लघु ऋणों के जरिए समुदाय को सम्पन्न बनाने की योजनाओं का कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकला। दलितों की व्यवसाय–वाणिज्य में भी भागीदारी नगण्य है। ऐसे में भूमिहीन, व्यवसायहीन विशाल दलित आबादी का क्या होगा, इस प्रश्न को आंबेडकरोत्तर भारत में पहली बार चन्द्रभान प्रसाद और उनके साथियों ने बड़े आकार में न सिर्फ खड़ा किया बल्कि समाधान के लिए 21वीं सदी का 21 सूत्रीय एजेंडा भी प्रस्तुत किया। भोपाल के दलित सम्मेलन में दलितों के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर तैयार किए गए भोपाल घोषणा के नाम से विख्यात दलित एजेंडे को जहां बहुत से बुद्धिजीवियों ने दलित मुक्ति का चार्टर ऑफ मैग्नाकार्टा करार दिया है, वहीं भू.पू. राष्ट्रपति के.आर. नारायन ने इसे अपनाने की अपील की थी।

21 सूत्रीय दलित एजेंडे में आम दलित संगठनों की भांति सरकारी और गैरसरकारी नौकरियों एवं न्यायपालिक, तथा सुरक्षा बलों में आरक्षण की मांग तो की ही गई है, पर सबसे अनूठी मांग सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों में वस्तुओं की सप्लाई और डीलरशीप में विविधता लागू करना है। अमरीकी दलितों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन घटित करने में विविधता नीति की प्रभावकारिता को देखते हुए दलित एजेंडे के रूपकारों को दृढ़ विश्वास है कि भारत में विविधता नीति लागू होने पर न सिर्फ दलितों में भारी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति उभरेंगे, बल्कि टी.वी., फिल्म, मीडिया इत्यादि सांस्कृतिक स्त्रोतो के सालों से बन्द पड़े हुए द्वार भी उनके लिए खुल जाएंगे।

दलित बुद्धिजीवी आज जिस डायवर्सिटी (विविधता) नीति में सदियों से हिन्दू आरक्षण (वर्ण–व्यवस्था) में बहिष्कृत की गई आबादी का भविष्य देख रहे हैं, उसकी शुरूआत इसी 27 अगस्त से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कर दी है। यह एक अजीब संयोग है कि प्राचीन आरक्षण की वंचना से निजात देने की पहल सौ साल पहले की जुलाई में एक राजा ने ही की थी। सौ साल बाद आरक्षण का इतिहास खुद अपने आपको दोहरा रहा है। आज सौ साल बाद शाहूजी महाराज का अनुसरण करते हुए 21वीं सदी की मांग के अनुरूप एक नए आरक्षण की शुरूआत जुलाई महीने में ही दिग्गी राजा ने कर दी है। लेकिन 9 जुलाई को शासनादेश जारी करने के बाद दिग्गी राजा ने सरकारी खरीद का आदेश अगस्त महीने में दलित व्यापारियों को क्यों वितरित किया? कहीं यह सोचकर तो नहीं कि जिस तरह आम भारतीय अगस्त का उपभोग मुक्ति माह के रूप में करता है, उसी तरह अब से दलित भी अगस्त का उपभोग मुक्ति माह के रूप में करना शुरू कर दें?

साभार : वर्ण व्यवस्था एक वितरण व्यवस्था
पृ.सं. 213 से 217 तक।
एच.एल. दुसाध

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

अन्धविश्वास

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

अन्धविश्वास और मिथ्या दर्शन के व्यवहार को समाज से निकाल देने की बात समाज–सुधारकों के क्षेत्र के अन्तर्गत है। यह बात सामान्य रूप से सब जगह मान्य है। जो लोग इन अन्धविश्वासों के चलन का लाभ उठाकर शोषण करते हैं, वे ही लाभान्वित होते हैं और दूसरा कोई नहीं। साहस और दृढ़ विश्वास के अभाव में दूसरे लोग इस स्थिति को बदलने में असमर्थ हैं। ईश्वर, धर्म, दया ही केवल अन्ध–विश्वास को प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि भले और बुरे दिनों का विश्वास, संकल्प, उपवास, तीर्थ–पर्यटन, धार्मिक स्थान और साधुओं की प्रशंसा आदि कृत्य भी अन्धविश्वास के प्रचार में सहायता पहुँचाते हैं, जिसके कारण मनुष्य की शक्ति, बुद्धि, धन तथा समय का अपव्यय होता है। यद्यापि भारत, प्राकृतिक साधनों से भरपूर है फिर भी वह दासता, निर्धनता और पिछड़ेपन के बंधनों से बंधा हुआ है। इसका एक मात्र कारण मनुष्यों का अन्धविश्वास ही है। संसार के कुछ अन्य देशों ने, जो बहुत पिछड़े हुये थे, कुछ वर्षों के अन्दर कला और विज्ञान में भारी उन्नति की है, क्योंकि उन्होंने इन अन्ध–विश्वासों को जड़–मूल से नष्ट कर दिया है।

हमारी जनता इन अन्धविश्वासों को दूर करने के लिये तत्पर नहीं होती। ईश्वर, धर्म, पुराण और स्मृति अपना विरोध प्रकट करते हैं। ''हमारे पूर्वजों का चलन'' इसका सबसे बड़ा विरोध है। करोड़ों रुपया इनके व्यवहार में नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष में कुछ ऐसे मंदिर हैं, जिनकी वार्षिक आय करोड़ों रुपया है। यह अपार धनराशि निरर्थक धार्मिक कृत्यों तथा कुछ शोषक जनों के हितार्थ खर्च कर दी जाती है। पुराण, आगम–शास्त्र, आचार्यों की कथाएँ, शुभ दिवस, धार्मिक स्थान तथा रीति–रिवाज इन विश्वासशील मनुष्यों को धोखा देते हैं। यहाँ तक कि देशी और विदेशी सरकारें भी जनता के विश्वास को शोषण करती हैं। भारत की रेलों का उदाहरण लीजिये। यह कोई भी नहीं कह सकता कि रेल के अधिकारीगण इन धार्मिक स्थानों, धार्मिक क्रिया–पद्धतियों तथा तीर्थ यात्राओं में अटूट विश्वास करते हैं। फिर भी आप देखिये, रेलवे विभाग क्या करता है ? '' थुला–स्नानार्थ अवश्य आइये'', ''बैकुंठ एकादशी आपको आमंत्रित करती है'', ''आदि–अमावस्या के हेतु धनुष कोटि अवश्य पधारिये'', '' थिरुवन्नामुलाई में कार्तिकेय दीपम के दर्शनार्थ हम आपका आह्वान करते हैं'', ''क्या आप हरिद्वार कुम्भ–मेला में नहीं जायेंगे ? ''कुम्बा'' कोनम में महामाघम के लिये पधारिये आदि विषयक विज्ञापन, समाचार–पत्रों तथा स्टेशनों पर लगे विज्ञापन पटों में जनता का ध्यान आकर्षित करने और उसको धोखा देने के हेतु किसी सुन्दर नारी का चित्र भी अंकित कर दिया जाता है। ऐसा वे जनता को सीधा स्वर्ग में पहुंचाने के लिये नहीं करते। यह सब आप जानते हैं कि ये सब धन अर्जित करने का एक साधन ही है। सरकार को जो भी कर रूप में दिया जाता है उससे कहीं अधिक जनता इन तीर्थ यात्राओं, धार्मिक अनुष्ठानों तथा झाड़–फूँक और तावीजों में व्यय कर देती है। जो मनुष्य सरकार को दोष दिया करते हैं कि उसने जन–कल्याण के लिये यह नही किया और वह नही किया, वे उपयुक्त प्रकार के अपव्यय की तनिक भी चिंता नहीं करते। वास्तव में अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा पत्रकारों द्वारा सरकार की भूलों की आलोचना करना अधिक सरल है बजाय इसके कि वे इन अन्ध–विश्वासों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करें जिस पर जनता की एक बहुत बड़ी धनराशि का अपव्यय हो रहा है। देश में इस बात की कमी है कि इन अन्ध–विश्वासों के कार्यों में सरकार जरा भी अपना हस्तक्षेप कर सके।

अन्धविश्वासों के कार्यों में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोग यदि जन–कल्याण के हेतु हो सके, तो हमारी अशिक्षा का अनुपात शीघ्र ही घट जायेगा। अशिक्षा, निर्धनता तथा बीमारी का एक मात्र कारण अन्धविश्वास है।

ऐसे समाज सुधारक बहुत हैं, जो मंच पर खड़ें होकर ''परोपदेश पॉडित्यम '' की बात करते हैं, परन्तु वास्तव में वे स्वयं अपने कथित मार्ग का अनुसरण नहीं करते। यथार्थता का सामना करने के लिये उनमें घबराहट तथा अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अन्धविश्वासों को बनाये रखने के लिये शोषित वर्ग कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता। लगभग सभी शैव, वैष्णव, सिद्धान्ती आदि धार्मिक सम्प्रदाय, गोष्ठियों का आयोजन करते हैं तथा रामायण, महाभारत, थेवेरम पर कलकक्षेपम् की कोई कमी नहीं रहती। इन भयंकर विपरीत शक्तियों का सामना करने के लिये सुधारकों को अधिक वेग से काम करना होगा और अपना मस्तिष्क दृढ़ बनाना होगा। धर्म और ईश्वर में व्याप्त अन्ध–विश्वास की शक्ति को अत्यल्प समझते हुये इसे अनंत शक्ति तथा नित्य मानना बुद्धि का दिवालियापन है और असफलता को वरण करना है। अन्धविश्वास का व्यवहार एवं श्रद्धान युग–युगान्तरों से चला आ रहा है और इसके समर्थन में एक विशाल साहित्य है, यह कथन सत्यता का प्रमाण उपस्थित नहीं करता। संसार उन महापुरुषों एवं उनके द्वारा सम्पादित उनके उन कार्यों से भरपूर है, जिन्होंने समाज की पुरानी जीर्ण–शीर्ण प्रथाओं को तोड़ कर सफलता प्राप्त की और मनुष्यों के रहन–सहन में परिवर्तन कर दिया।

किसी व्यवस्थित हृदयग्राही पद्धति द्वारा समाज में सुधार किया जा सकता है, ऐसा मुझे अब विश्वास नहीं रहा। मैं अनुभव करता हूँ कि हेतुवाद और समाजवाद का दावा करने वाली हमारी यह तानाशाही सरकार की इस ओर कुछ कर सकती है। यह सरकार वर्ण–व्यवस्था को हटाने के लिये वचनबद्ध है, अतएवः वह ऐसी पुस्तकों तथा साहित्य के चलन पर प्रतिबन्ध लगा दे, जिसमें वर्ण–व्यवस्था की प्रशंसा की गई हो। उन समस्त पुस्तकों की होली जला दी जाये, जो अन्धविश्वास और वर्ण–व्यवस्था तथा जातिगत भेद–भावों से परिपूर्ण हैं। शंकराचार्य तथा मठाधिपति आदि धर्म नेताओं को, जो अब भी वर्ण–व्यवस्था का उपदेश देते हैं, तत्काल उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये या देश निकाला दे दिया जाये। जवाहरात तथा मूल्यवान बर्तनों के रूप में मंदिरों में जमा की हुई अतुल धनराशि जब्त कर ली जाये और उसे अशिक्षितों को शिक्षित बनाने तथा बेरोजगारी दूर करने में व्यय किया जाये। यह आवश्यक है कि जनता द्वारा ऐसी सरकार बने जो इन सुधारों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित कर सके। इस प्रक्रिया में सम्भवतः बहुत से सुधारकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाये। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज–सुधारकों को यदि कोई नास्तिक की संज्ञा दे, तो उसे वे निर्भय होकर स्वीकार कर लें। शब्द 'नास्तिक' अथवा उसका नास्तिकता का भाव कोई अर्थ नहीं रखता। यथार्थ में बात तो यह है कि लोग ब्राह्मण, पुरोहितों, वेदों, शास्त्रों, इतिहास, और पुराणों में विश्वास नहीं करते, उन्हें लोग नास्तिक कहने लगते हैं। आस्तिक होकर यदि कोई शोषण और अंधविश्वास को नहीं मिटा सका, तो नास्तिक होने में क्या बुराई है। वास्तव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज–सुधारक यदि संसार को पूर्ण रूपेण सुधरा हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें फौरन नास्तिक बन जाना चाहिये। तब ही नास्तिकता का भय दूर हो सकता है। यह सब ध्यान में रखना चाहिये कि धर्म पुरोहित तथा धनिक लोग सदैव समाजवाद, जनतंत्र और सुधारकों को शत्रु समझते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो लोग किसी एक धर्म का दूसरे धर्म के लिये विरोध करते हैं, एक पैगम्बर या अवतार के विपरीत किसी दूसरे पैगम्बर में विश्वास करते हैं और अन्त में जनता को संकीर्ण मार्ग में ला पटकते हैं, वे ही सुधारों एवं ज्ञान के विरोधी होते हैं। इस प्रकार के झूठे प्रचार के विरूद्ध लोगों को सावधान कर देना चाहिये जिससे वे अज्ञान एवं श्रद्धा के वशीभूत होकर असत्य प्रचार तथा असत्य मार्ग प्रदर्शन के बल पर अपना धर्म परिवर्तन न कर लें। समस्त धर्मावलम्बी लोग एक ही कुटिल नाव के नाविक हैं। मानव जीवन के लिये धर्म परिवर्तन कोई अर्थ नहीं रखता। धर्म परिवर्तन सन्देह निवृत्ति का साधन नहीं है।

ऐसे ब्राह्मण तथा कट्टर धर्मपरायण लोगों के विषय में चेतावनी दे देना परमावश्यक है, जो अपने को बड़ी सरलतापूर्वक महान समाज–सुधारकों की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि उन्होंने मांस सेवन, मद्यपान तथा किसी के भी घर पर खान–पान प्रारम्भ कर दिया है। कुछ लोग अपने को महान सुधारकों की गणना में इसलिये रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विवाह संस्कार में अथवा वेश्या के रूप में किसी रखैल को रखने में किसी जात–पात का विचार नहीं किया। ये हरकतें समाज–सुधार के प्रतिरुप नहीं हैं। इसके साथ–साथ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि इस वर्ण–व्यवस्था तथा जातिगत भेद–भाव के केवल ब्राह्मण ही दोषी हैं, अपितु इस प्रकार के व्यक्ति अन्य सम्प्रदायों में भी थोड़े बहुत रूप से पाये जाते हैं। जनता आलोचना करती है कि लोग इस जातिगत भेद–भाव के कारण ब्राह्मण वर्ग की कटु आलोचना करते हैं, वे ही लोग अपने से निम्न स्तर की जाति के लोगों को समानता का पद नहीं देते। यह आलोचना सत्य है। इसका उत्तर मेरी समझ में यह है कि ब्राह्मण समाज इसका अधिक दोषी हैं, क्योंकि इसके पूर्वजों ने जातिगत भेद–भाव उत्पन्न किया और पनपाया। अगर मानव समाजरूपी सीढ़ी के अन्तिम चरण रूपी ब्राह्मण वर्ग अपना इस विषय में सुधार कर ले, तो और दिशाओं में भी सुधार सरल हो जायेगा। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि बिना किसी भेद–भाव के जनसंख्या के अनुपात से समस्त जातियों को सेवालयों तथा शिक्षालयों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

अन्त में यह मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक सुधार कर अन्तिम लक्ष्य जनता में भली आदतों का शिक्षण, ज्ञान वृद्धि तथा समानता के सिद्धान्तों का पालन आत्म सम्मान की प्राप्ति, और सत्य अर्थ में धर्म निरपेक्ष समाजवाद की स्थापना करना है।

साभार
पेरियार ई. वी. रामस्वामी नायकर
पृष्ठ सं. 112 से 118 तक

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।